सामान्य नोट 20.01.2016

संदर्भ :- 1) दैनिक भास्कर रायपुर का विज्ञापन दिनांक 19.01.2016 (03 योजनाओं के ई.ओ.आई)

2) हिन्दुस्तान टाईम्स नई दिल्ली का विज्ञापन दिनांक 20.01.2016

विषय :- छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की प्रस्तावित विभिन्न तीन योजनाओं (1) पण्डरीपानी जगदलपुर (2) आशा नगर राजनांदगांव (3) अभिलाषा परिसर सिरगिट्टी आवासीय योजना के रिक्त भाग में योजना के वास्तुविदीय एवं इंजी. कार्य के लिए ई.ओ.आई के माध्यम से वास्तुविद/फर्म/कंपनी का चयन करने बाबत्।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए वास्तुविदी एवं इंजीनियरिंग कार्य कराने हेतु मण्डल की वेबसाइट में दिनांक 05.01.2016 को ई.ओ.आई.-2015 अंतर्गत पंजीबद्ध किये वास्तुविद/फर्म/कम्पनी की सूची जारी की गई हैं। इसमें से वास्तुविदी एवं इंजीनियरिंग कार्य हेतु सूची-ए के निम्न तालिका अनुसार श्रेणी में पंजीबद्ध वास्तुविद/फर्म/कम्पनी से तकनीकी ऑफर (बिड) आमंत्रित किये गये हैं।

क्र.	योजना का नाम	भूमि रकबा	योजना की अनुमानित लागत	प्रोसेस फीस रू.	ई.एम.डी. (अमानत राशि रू.)	बिड में भाग लेने वाले वास्तुविद/फर्म मण्डल में पंजीबद्ध श्रेणी (Arch. & Eng.Ser.) 2015 में (05.01.2016 को जारी सूची-ए में से)
1.	प्रस्तावित अटल विहार योजना पण्डरीपानी जगदलपुर जिला-बस्तर योजना।	52.6 एकड़	120.00 करोड़	10,000.00 (दस हजार)	1.00 लाख	ए श्रेणी
2.	प्रस्तावित आवासीय योजना आशानगर राजनांदगांव।	6.78 एकड़	65.00 करोड़	10,000.00 (दस हजार)	1.00 लाख	ए श्रेणी
3.	प्रस्तावित आवासीय योजना अभिलाषा परिसर सिरगिट्टी में रिक्त भूमि पर बिलासपुर।	7623.00 वर्गमीटर	22.00 करोड़	10,000.00 (दस हजार)	0.50 लाख (पचास हजार)	बी एण्ड उपर श्रेणी

- बिड जमा करने की दिनांक 03.02.2016 समय शाम 5.00 बजे तक। बिड–व्यक्तिगत/स्पीड पोस्ट/कोरियर द्वारा स्थान आयुक्त कार्यालय, मुख्यालय, शंकर नगर, रायपुर में जमा किया जा सकता है।
- तकनीकी बिड खोलने की दिनांक 04.02.2016 समय 11.30 बजे से स्थान मुख्यालय, शंकर नगर, रायपुर।
- समाचार पत्र विज्ञापन की प्रति :– संलग्न
- सर्वे प्लान सॉफ्ट कॉपी :– संलग्न
    1. अटल विहार योजना, पण्डरीपानी, जगदलपुर।
    2. आवासीय योजना, आशा नगर राजनांदगांव।
    3. आवासीय योजना अभिलाषा परिसर सिरगिट्टी में रिक्त भूमि पर।
- सभी योजना T&CP नगर निगम एवं केन्द्र व शासन के अन्य संबंधित विभाग के नियमों के आधार पर होने चाहिए।
- सभी योजना वास्तु विज्ञान पर आधारित होना चाहिए एवं पर्यावरण अनुकुल ग्रीन कानसेप्ट का समावेश, वाटर हार्वेस्टिंग आदि का समावेश किया जाना चाहिए।
- सभी योजना तैयार करने के पूर्व भूमि का निरीक्षण अवश्य किया जाये।
- इन योजना के लिए प्रोसेस फीस एवं (EMD) अमानत राशि जो कि उपर तालिका अनुसार का डी.डी. जो कि Commissioner, C.G.H.B. Raipur के नाम पर देय हो, संलग्न करना अनिवार्य हैं। अन्यथा बिड निरस्त मानी जायेगी।
- ऑफर (बिड) विज्ञापित दिनांक एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले बिड स्वीकार नहीं किये जावेगें। (Postal delay will not be considered)
- सभी योजना केन्द्र शासन की प्रधानमंत्री आवास योजना की गाईड लाईन एवं अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के नियमों पर आधारित होना चाहिए।
- चयनित वास्तुविद/फर्म/कम्पनी को कार्य मण्डल को वर्तमान में उपलब्ध भूमि पर करने हेतु सहमति दी जावेगी एवं इसका अनुबंध अधिकतम 03 वर्ष तक के लिए ही रहेगा। यदि किसी योजना के भूमि रकबा मण्डल को अतिरिक्त रूप से लगा हुआ प्राप्त होता है, तो इसमें कार्य करने हेतु पृथक से अनुमति आयुक्त से प्राप्त किया जाना होगा एवं इन योजनाओं में मण्डल को उपलब्ध भूमि में ही योजना तैयार की जावेगी एवं उसके अनुसार ही वास्तुविद/फर्म/कंपनी को भुगतान किया जावेगा।
- ई.ओ.आई. 2015 के करेजेन्डम–1 दिनांक 18.01.2016 संलग्न है, इसका अवलोकन कर प्रापोजल जमा करें।
- इन योजनाओं के लिए एवार्ड ऑफ वर्क ई.ओ.आई. 2015 के करेजेन्डम–1 दिनांक 18.01.2016 के अनुसार 7.4 बिन्दु (पुनरीक्षित) के विधि अनुसार वास्तुविद/फर्म/कंपनी का चयन किया जायेगा।

- फाईनल चयनित वास्तुविद/फर्म/कंपनी को मण्डल की ई.ओ.आई. 2015 बिन्दु क्रमांक 7.5 के अनुसार निर्धारित दर के अनुसार मोड ऑफ पेमेंट अनुसार प्रदाय किया जावेगा व अन्य शर्ते, नियम, स्कोप ऑफ वर्क ई.ओ.आई. 2015 (पुनरीक्षित के अनुसार होगा)।
- एक वास्तुविद/फर्म/कंपनी एक या अधिक प्रोजेक्ट योजना पर तकनीकी प्रपोजल जमा कर सकता है। किन्तु प्रोसेस फीस एवं ई.एम.डी. राशि का डी.डी प्रत्येक योजना के लिए पृथक-पृथक उपरोक्त तालिका अनुसार बिड के साथ जमा करना होगा। इनके जमा नही करने पर बिड निरस्त मानी जावेगी।
- ई.एम.डी. राशि को प्रत्येक योजना के लिए फाईनल कंसलटेन्ट का चयन व चयनित कंसलटेन्ट के द्वारा अनुबंध करने के बाद चयनित कंसलटेन्ट का डी.डी. मण्डल में जमा रहेगा व इसे फाईनल बिल भुगतान के समय वापस किया जायेगा व अन्य बिड में भाग लिए कंसलटेन्टों का डी.डी. इनके द्वारा मांग की जाने पर चयनित कंसलटेन्ट के द्वारा अनुबंध करने के बाद वापस किया जायेगा।
- उक्त योजना के स्थल निरीक्षण हेतु जगदलपुर कार्यस्थल के संबंध में जानकारी हेतु 9424209109 एवं बिलासपुर कार्यस्थल बाबत् 9424209032 एवं राजनांदगांव योजना के लिए 8223945566 से सम्पर्क किया जा सकता हैं एवं इन योजनाओं के वास्तुविदीय जानकारी हेतु मण्डल मुख्यालय के वास्तुविद मो. 9424209010 पर संपर्क किया जा सकता है।
- अटल विहार योजना, पण्डरीपानी, जगदलपुर इस योजना को केन्द्र सरकार की अफोर्डेबल योजना के मापदण्ड एवं प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अनुरूप भी तैयार किया जावे।
- सामान्य आवासीय योजना, आशा नगर राजनांदगांव इस योजना को केन्द्र सरकार की अफोर्डेबल योजना के मापदण्ड एवं प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अनुरूप भी तैयार किया जावे। इस योजना का भूमि रकबा मण्डल को प्राप्त भूमि 6.21 एकड़ है।
- आवासीय योजना अभिलाषा परिसर सिरगिट्टी में रिक्त भूमि पर इस योजना को एल.आई. जी. वर्ग के लिए प्रकोष्ठ भवन अफोर्डेबल योजना के मापदण्ड एवं प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अनुरूप भी तैयार किया जावे।

20/1/2016

वास्तुविद
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
मुख्यालय, रायपुर